रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/93 REGD. NO. D.L.-33004/93

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

## असाधारण
## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 665] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 8, 1993/कार्तिक 17, 1915
No. 665] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 8, 1993/KARTIKA 17, 1915

indiacode

राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987

(1987 का 53वां के अंतर्गत स्थापित)

अधिसूचना

राष्ट्रीय आवास बैंक (गन्दी बस्ती सुधार और कम लागत के मकानो के लिए निधि) विनियम, 1993

का. आ. 857 (अ).—राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आवास बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्वानुमोदन और केन्द्रीय सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :—(i) इन विनियमों को "राष्ट्रीय आवास बैंक (गदी बस्ती सुधार और कम लागत के मकानों के लिए निधि) विनियम, 1993 कहा जाएगा ।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो तो:—

(i) "अधिनियम" का अर्थ राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (1987 का 53) है ।

(ii) "निधि" का अर्थ अधिनियम की धारा 14 के खण्ड (जज) में उल्लिखित विशेष निधि से है ।

(iii) इसमें प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां जिनकी परिभाषा इन विनियमों में नहीं की गई है, परन्तु अधिनियम में जिनका प्रयोग हुआ है, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किया गया है ।

3. निधि की स्थापना:—(i) इन विनियमों के प्रयोजनार्थ एक विशेष निधि का गठन किया जाएगा जिससे गंदी बस्ती सुधार और गरीबों के लिए कम लागत के मकान हेतु वित्तपोषण किया जायेगा

(ii) निधि का धारण और प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जायेगा

4. निधि में जमा :—निधि में ये शामिल होंगे :—

(i) स्वैच्छिक जमा (उन्मुक्ति और छूट) अधिनियम, 1991 (1991 का 47) के प्रयोजनार्थ अधिनियम की धारा 14 (जज) के तहत तैयार योजना के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय आवास बैंक के पास स्वेच्छिक रूप से जमा कराई गई राशि ;

(ii) सरकार या किसी अन्य व्यक्ति से इसके कारपस के लिए प्राप्त समस्त धनराशियां ;

(iii) ऐसी सभी धनराशियां जो इस निधि के प्रयोजन के लिए सरकार से या किसी व्यक्ति से जो भारत में है या भारत के बाहर हैं ऋण, उपहार, अनुदान, चन्दा, दान या अन्यथा प्राप्त हुई हो ;

(iv) निधि से मंजूर किए गए ऋणों या अग्रिमों में अन्य सुविधाओं से संबंधित वापसी अदायगियां या वसूलियां ;

(v) निधि से किए गए निवेशों से आय या लाभ;

(vi) विनियम 5 के प्रावधानों के अनुसार निधि के उपयोग के कारण ब्याज या अन्यथा के रूप में उपचित या होने वाली आय ;

5. निधि के नामें डालना:—निम्नलिखित को निधि के नामें डाला जाएगा :—

(i) ऐसी राशियां जो राष्ट्रीय आवास बैंक (स्वैच्छिक जमा) योजना, 1991 के पैरा 6 में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए समय समय पर संवितरित या व्यय की जाए ;

(ii) ऐसी राशियां जो निधि के प्रयोजन के लिए प्राप्त ऋणों से संबंधित देयताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित हों ;

(iii) निधि से किए गए निवेश के कारण हुई कोई हानि ; और

(iv) ऐसा व्यय जो निधि के प्रबंधन और उपयोग के कारण हो या उससे संबंधित हो ;

6. निधि की लेखा परीक्षा :

(1) अधिनियम की धारा 40 की उप धारा (3) के तहत नियुक्त लेखा परीक्षकों द्वारा की जाएगी और उसकी उप धारा (2) से (5) के प्रावधान इसके विनियमन के प्रयोजनों के लिए लागू होंगे।

(2) लेखा परीक्षा के खर्च का भुगतान निधि से किया जाएगा ;

7. निधि के वार्षिक लेखे:—निधि के वार्षिक लेखे निम्नानुसार तैयार और पेश किए जाएंगे :—

(क) इसके साथ संलग्न अनुसूची 1 में यथा विनिर्दिष्ट वर्ष के 30 जून की स्थिति के अनुसार एक तुलन पत्र :

(ख) इसके साथ संलग्न अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट 30 जून को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा ।

अनुसूची I

राष्ट्रीय आवास बैंक विशेष निधि

30 जून की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

[कृपया विनियम 7 (क) देखें]

| पिछला वर्ष (रु) | चालू वर्ष (रु.) |
|---|---|
| | देनदारियां |
| | 1. ऋण : |
| | (i) सरकार से |
| | (ii) अन्य स्रोतों से |
| | 2. उपहार, अनुदान चंदा, और दान : |
| | (i) सरकार से |
| | (ii) अन्य स्रोतों से |
| | 3. अन्य देनदारियां और प्रावधान |
| | 4. लाभ और हानि लेखा : |
| | पिछले तुलन पत्र से शेष |
| | संलग्न लेखे से अन्तरित लाभ/हानि |
| | आकस्मिक देनदारियां |
| | (i) निधि के विरुद्ध किए गए दावें जिन्हें नामें के रूप में स्वीकृत नहीं किया गया है । |
| | (ii) धन जिसके लिए निधि आकस्मिक तौर पर उत्तरदायी है। |
| | आस्तियां |
| | 1. नकदी और बैंक शेष : |
| | (i) हाथ में नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष |
| | (ii) अन्य बैंकों के पास शेष : |
| | (क) चालू खाते में |
| | (ख) जमा खाते में |

IndiaCode

2. निवेश

(i) केन्द्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों में

(ii) आवास वित्त संस्थाओं के स्टाकों, शेयरों, बाण्डों और डिबेंचरों में

3. ऋण और अग्रिम

4. अन्य अस्तियां

5. लाभ और हानि लेखा :
पिछले तुलन पत्र मे शेष संलग्न लेखे से अन्तरित लाभ/हानि

## अनुसूची II

राष्ट्रीय आवास बैंक विशेष निधि

30 जून को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि लेखा

[कृपया विनियम 7 (ख) देखें]

| पिछला वर्ष (रु.) | चालू वर्ष (रु.) |
|---|---|

व्यय

1. ब्याज
2. स्थापना व्यय
3. निदेशकों की फीस और व्यय
4. लेखा परीक्षा फीस
5. किराया, कर, बिजली और बीमा
6. डाक खर्च, तार, टैलेक्स और टेलीफोन
7. कानूनी खर्च
8. लेखन सामग्री, मुद्रण, विज्ञापन आदि
9. मूल्य ह्रास
10. अन्य व्यय
11. निवेशों की बिक्री से निवल हानि से प्रारक्षित निधियों या किसी विशेष खाते में नामें नहीं डाला गया ।
12. तुलन पत्र में ले जाया गया लाभ

आय

(अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए वर्ष के दौरान किया गया कम प्रावधान और अन्य आवश्यक तथा समीचीन प्रावधान)

1. ब्याज तथा बट्टा
2. निवेशों से आय
3. कमीशन, दलाली आदि
4. निवेशों की बिक्री मे निवल लाभ (जिसे प्रारक्षित निधि या किसी विशेष खाते मे जमा नहीं किया गया)
5. अन्य आय
6. तुलन पत्र में ले जायी गई हानि-शेष

[सं. एफ 7 (13)/91 सीपी]

आर. वी. गुप्ता, अध्यक्ष

## NATIONAL HOUSING BANK

(Incorporated under the National Housing Bank Act, 1987) (53 of 1987)

## NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 1993

National Housing Bank (Slum Improvement and Low Cost Housing Fund) Regulations, 1993

S.O. 857(E).—In exercise of the powers conferred by Section 55 of the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987), the National Housing Bank with the previous approval of the Reserve Bank of India and in consultation with the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement :

(i) These regulations may be called The National Housing Bank (Slum Improvement and Low Cost Housing Fund) Regulations, 1993.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions :

In these regulations, unless the context otherwise requires—

(i) "Act" means the National Housing Bank Act, 1987 (53 of 1987).

(ii) "Fund" means the special fund referred to in clause (hh) of Section 14 of the Act ;

(iii) Words and expressions used herein and not defined in these regulations but used in the Act have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Establishment of the Fund :

(i) There shall be established for the purposes of these regulations a special fund for financing Slum Improvement and Low Cost Housing for the poor.

(ii) The fund shall be held and administered by the Board.

4. Credit to the Fund :

The fund shall consist of—

(i) forty per cent of the amount deposited by any person voluntarily to the National Housing Bank in accordance with the scheme framed under Section 14(hh) of the Act for the purpose of voluntary Deposits (Immunities and Exemptions) Act, 1991 (47 of 1991) ;

(ii) all amounts received towards its corpus from Government or any other person ;

(iii) all amounts received for the purpose of the fund by way of loans, gifts, grants, donations, benefactions or otherwise from the Government or any other person in or outside India ;

(iv) repayments or recoveries in respect of loans and advances or other facilities granted from the fund ;

(v) income or profits from investments made from the fund ;

(vi) income accruing or arising to the fund by way of interest or otherwise on account of the application of the fund in accordance with the provisions of regulation 5.

5. Debits to the Fund :

To the fund shall be debited—

(i) such amounts as may, from time to time, be disbursed or spent for the purposes indicated at paragraph 6 of the National Housing Bank (Voluntary Deposits) Scheme 1991 ;

(ii) such amounts as may be required for discharging the liabilities in respect of loans received for the purpose of the fund ;

(iii) any loss arising on account of investment made out of the fund ; and

(iv) such expenditure arising out of or in connection with the administration and utilisation of the fund.

6. Audit of the Fund :

(1) The fund shall be audited by the Auditors appointed under sub-section (1) of section 40 of the Act and the provisions of sub-sections (2) to (5) thereof shall apply for the purposes of this regulation.

(2) The charges on account of audit shall be paid out of the fund.

7. Annual Accounts of the Fund :

The annual accounts of the fund shall be prepared and set out in the following manner :—

(a) a balance sheet as on 30th June of the year as specified in Schedule I annexed hereto ;

(b) a profit and loss account for the year ended 30th June as specified in Schedule II annexed hereto.

SCHEDULE I

NATIONAL HOUSING BANK SPECIAL FUND

BALANCE SHEET AS ON 30TH JUNE.....

[See regulation 7(a)]

| Previous year (Rs) | | Current year. (Rs) |
|---|---|---|
| | LIABILITIES | |
| | 1. LOANS : | |
| | (i) From Government. | |
| | (ii) From other sources. | |
| | 2. GIFTS, GRANTS, DONATIONS AND BENEFACTIONS | |
| | (i) From Government. | |
| | (ii) From other sources. | |
| | 3. OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS : | |
| | 4. PROFIT AND LOSS ACCOUNT : | |
| | Balance from last balance sheet profit/loss transferred from the account annexed. | |
| | CONTINGENT LIABILITIES | |
| | (i) Claims against the fund not acknowledged as debits. | |
| | (ii) Moneys for which the fund is contingently liable. | |
| | ASSETS : | |
| | 1. CASH AND BANK BALANCE : | |
| | (i) Cash in hand and balance with Reserve Bank of India. | |
| | (ii) Balances with other banks : | |
| | (a) On current account. | |
| | (b) On deposit account. | |
| | 2. INVESTMENTS : | |
| | (i) On securities of Central and State Governments. | |
| | (ii) In stocks, shares, bonds and debentures of housing finance institutions. | |
| | 3. LOANS AND ADVANCES. | |
| | 4. OTHER ASSETS. | |
| | 5. PROFIT AND LOSS ACCOUNT : | |
| | Balance from last balance sheet. Profit/Loss transferred from the account annexed. | |

SCHEDULE-II

NATIONAL HOUSING BANK SPECIAL FUND

PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 30TH JUNE.....

[See regulation 7(b)]

| Previous Year (Rs.) | | Current Year (Rs.) |
|---|---|---|
| | EXPENDITURE | |
| | 1. Interest. | |
| | 2. Establishment expenses. | |
| | 3. Directors fee and expenses. | |
| | 4. Audit fee. | |
| | 5. Rent, taxes, electricity and insurance. | |
| | 6. Postage, telegrams, telex and telephones. | |
| | 7. Law charges. | |
| | 8. Stationery, printing, advertisement etc. | |
| | 9. Depreciation. | |
| | 10. Other expenses. | |
| | 11. Net loss on sale of investments (not debited to reserves or any particular account). | |
| | 12. Profit carried to balance. | |
| | INCOME | |
| | (Less provision made during the year for bad and doubtful debts and other necessary and expedient provisions). | |
| | 1. Interest and discount. | |
| | 2. Income from investments. | |
| | 3. Commissions, brokerage etc. | |
| | 4. Net profit on sale of investments (not credited to reserve or any particular account). | |
| | 5. Other income. | |
| | 6. Balance of loss carried to balance sheet. | |

[No. F. 7(43)/91-CP)]
R. V. GUPTA, Chairman

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1993